

फर्द अहकाम


हरिराम

बनाम

राज० सरकार वगै०

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० / 2024

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्रवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08.08.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाए फरिकेन उपरिथत। प्रार्थना पत्र पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। उभयपक्षकारान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश दिनांक 09.01.2023 की पालना करने में सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश दिनांक 09.01.2023 का ससम्मान अवलोकन किया गया। तहसीलदार जोबनेर को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश दिनांक 09.01.2023 की पालना हेतु उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश दिनांक 09.01.2023 की प्रति संलग्न कर तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	